मि.नं. 74/15 रजु दिनांक 08.06.2015

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, करौली, तहसील व जिला करौली — प्रार्थी

बनाम

1. सामन्ता मीणा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत नींदर, तहसील–मण्डरायल, जिला करौली, राजस्थान
2. सूरजमल गुप्ता पुत्र रामगोपाल गुप्ता, निवासी–मण्डरायल, जिला–करौली, राजस्थान,
3. लक्ष्मण पुत्र परमाल रावत निवासी–बदरेडा, थाना–सबलगढ़, जिला–मुरैना, मध्यप्रदेश
4. नवल शर्मा पुत्र मिश्रीलाल, निवासी–मण्डरायल, जिला–करौली, राजस्थान

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6(ए), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 800 लीटर केरोसीन तेल मय बारदाना लोहे 4 ड्रम राजसात् करने बावत्।

निर्णय

दिनांक–12.09.2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रर्वतन निरीक्षक करौली ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 15.05.2015 को लगभग शाम 4.00 बजे अमरसिंह मीणा थानाधिकारी मण्डरायल द्वारा दौराने गश्त करौली– मण्डरायल रोड, नींदर मोड पर एक पिक–अप नंबर आर.जे.–25 जी.ए.–0193 को रोका जिसमें 4 ड्रमों में 800 लीटर नीले रंग के केरोसीन को कालाबाजारी की संदिग्ध की स्थिति में पकड़ कर पिक–अप चालक लक्ष्मण पुत्र परमाल रावत निवासी बदरेडा, थाना–सबलगढ़, जिला मुरैना मध्यप्रदेश तथा केरोसीन के खरीददार सूरजमल गुप्ता पुत्र रामगोपाल गुप्ता निवासी मण्डरायल से पूछताछ पर उक्त केरोसीन अप्रार्थी नं. 1 सामन्ता मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नींदर से खरीद कर कालाबाजारी में ले जाना पाया गया। थानाधिकारी मण्डरायल द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों को तथा एस.डी.एम., तहसीलदार एवं रसद विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। पुलिस थाना मण्डरायल से दिनांक 15.05.2015 के रोजनामचा की रिपोर्ट की नकल भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। दिनांक 15.05.2015 को सुनीता मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन मुख्यालय करौली, जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशों की पालना में थाना मण्डरायल गयीं जहां पर एक पिक अप नंबर आर.जे. 25 जी.ए. 0193 खड़ी पायी जिसमें चार ड्रमों में 800 लीटर नीले रंग का केरोसीन रखा पाया गया। मौके पर थानाधिकारी अमरसिंह मीणा उपस्थित थे जिनसे जानकारी करने पर तथा मौके पर उपस्थित चालक लक्ष्मण व सूरजमल गुप्ता से पूछताछ करने पर पिक–अप चालक ने 800 लीटर नीले रंग का केरोसीन जो चार ड्रमों में भरा हुआ था, को सामन्ता मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नींदर की दुकान से लाना बताया व सूरजमल गुप्ता द्वारा खरीदना बताया। मौके

जिला कलक्टर
करौली

मि.नं. 74/15 रजु दिनांक 08.06.2015

पर पायी गयी परिसिथितियों एवं साक्ष्य के आधार पर मामला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले नीले रंग के केरोसीन की कालाबाजारी का पाया जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976, केरोसीन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 एवं पी.डी.एस. कंट्रोल आर्डर के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त 800 लीटर नीले रंग के केरोसीन को मय चार ड्रमों तथा मय पिक–अप नंबर आर.जे. 25 जी.ए. 0193 को जब्त किया गया तथा केरोसीन के विधिवत चार सैम्पल लिये गये। मौके पर फर्द मौका जब्ती तैयार की गई। 800 लीटर केरोसीन मय चार ड्रमों को नींदर के दूसरे दुकानदार राधारमण गुप्ता की सुपुर्दगी में तथा पिक–अप को थानाधिकारी मण्डरायल की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर सुपुर्दगीनामा बनाया गया। दिनांक 18.05.2015 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सामन्ता मीणा उचित मूल्य दुकानदार की जांच की। दुकानदार मौके पर नहीं मिला। दुकान मौके पर बंद पायी। दुकानदार के पुत्र ने दुकान को खोलकर दिखाया जिसमें दुकान के स्टॉक, वितरण रजिस्टर आदि जांच हेतु वांछित रिकॉर्ड नहीं मिला। दुकान के भौतिक सत्यापन पर 125 क्विंटल गेंहूं, 3 क्विं. 20 किलो चीनी एवं 25 लीटर केरोसीन स्टॉक में भौतिक रूप से पाया गया। दुकानदार द्वारा वितरण पखवाड़ा में जानबूझकर दुकान को बंद रखा जाना पाया जो दुकानदार की संदिग्ध कालाबाजारी गतिविधियों का द्योतक है। अंत में 800 लीटर नीले रंग के केरोसीन का अंतरिम निस्तारण करने तथा उक्त केरोसीन मय चार ड्रमों को व पिक–अप को राजसात किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जबाव पेश कर निवेदन किया है कि जब्तशुदा केरोसीन 800 लीटर से अप्रार्थी नं. 1 का कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी का दिनांक 15.05.2015 को कोई केरोसीन स्टॉक व वितरण रजिस्टर के अनुसार शेष नहीं रहा है। दिनांक 20.04.2015 को अप्रार्थी नंबर 1 को 2050 लीटर केरोसीन दिनांक 29.04.2015 तक 2028 लीटर केरोसीन राशनधारियों को वितरण किया जा चुका है। मात्र 25 लीटर केरोसीन दिनांक 29.04.2015 को स्टॉक रजिस्टर में शेष रहा था। इस प्रकार जब्तशुदा केरोसीन अप्रार्थी नं. 1 की राशन दुकान का होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अप्रार्थी नंबर 1 का संदिग्ध केरोसीन गलत दर्ज किया गया है। लक्ष्मण व सूरजमल गुप्ता को अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा 800 लीटर केरोसीन दिनांक 15.05.2015 को विक्रय नहीं किया गया है। सारी कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षक व थानाधिकारी मण्डरायल ने साजिशी तौर पर गलत की है। अप्रार्थी नं. 1 का जब्तशुदा केरोसीन से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा कोई कालाबाजारी नहीं की है। दुकान के स्टॉक व वितरण रजिस्टर आदि दुकान में नहीं मिलना, गलत लिखा है। वक्त जांच सारा रिकॉर्ड व राशन सामग्री शेष दुकान में ही रखे हुए थे। अप्रार्थी नंबर 1 ने दुकान को खोलकर प्रवर्तन निरीक्षक को दुकान का निरीक्षण कराया है जिसमें दिनांक 29.04.2015 को शेष रहा केरोसीन 25 लीटर व गेंहूं 125 क्विं. व चीना 3 क्विं. 20 किलो निरीक्षण के समय रखी मिली हैं जिससे भी जब्तशुदा केरोसीन

जिला कलेक्टर
करौली

मि.नं. 74/15

रजु दिनांक 08.06.2015

अप्रार्थी नंबर 1 का नहीं होना स्पष्ट है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अप्रार्थी का उपस्थित नहीं होना गलत दर्ज किया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने थानाधिकारी मण्डरायल से साज कर गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जब्तशुदा केरोसीन को राजसात् किये जाने में अप्रार्थी नंबर 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी द्वारा वाहन पिक–अप संख्या आर.जे. 25 जी.ए. 0193 को पुलिस थाना मण्डरायल से गलत तौर पर जब्त किया गया है। जब्तशुदा केरोसीन से अप्रार्थी नं. 2 ता 4 सूरजमल गुप्ता, लक्ष्मण रावत एवं नवल शर्मा का भी कोई संबंध नहीं है। केरोसीन को राजसात् किये जाने में अप्रार्थी नं. 2 ता 4 को भी कोई आपत्ति नहीं है।

बहस प्रवर्तन निरीक्षक व वकील अप्रार्थीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक का कथन है कि उचित मूल्य दुकानदार सामन्ता मीणा अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा अप्रार्थी नंबर 2 को अवैध 800 लीटर केरोसीन का विक्रय कर कालाबाजारी की है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने से 800 लीटर जब्त शुदा केरोसीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वकील अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि जब्तशुदा केरोसीन 800 लीटर मय चार ड्रमों से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक, करौली व थानाधिकारी मण्डरायल ने आपस में साज कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। 800 लीटर केरोसीन मय चार ड्रम को राजसात किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6(ए) वस्तु अधिनियम में जब्तशुदा केरोसीन 800 लीटर अवैध होने से कालाबाजारी का होना प्रतीत होता है। इसलिए उक्त जब्तशुदा केरोसीन को राजसात् किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा नीले रंग का केरोसीन 800 लीटर मय चार ड्रमों के राजसात् किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते है कि केरोसीन को बाजार दर से विक्रय कर विक्रय से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें । जिला रसद अधिकारी को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली